

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>लक्ष्मीतारा जोशी बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) सू.अ.अ. अपील सं. 80 / 2017</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मते जारी हुए</p>
<p>06.06.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी लक्ष्मीतारा जोशी पत्नी महेशचन्द्र जोशी, पता गली नं.-2, प्लॉट नं.6, झालेची झालरा के पास, चांदपोल जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.04.2017 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी के पत्र दिनांक 15.04.2010 एवं 24.12.2012 पर की गई कार्यवाही बतावे एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों में देय सूचना प्रार्थीनी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे तथा सूचना देय नहीं होने पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।</p>	